Reservation facility for onward and return journeys in N.E.

2289. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how far the facility of reservation system can be extended by the Computer Reservation counter opened at the State capitals of the North-Eastern Region; and

(b) when the facility of onward and return journeys for all Rail lines be received from the centres in this region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) and (b) All the non-rail head State Capitals of Shillong, Imphal, Agartala, Gangtok, Itanagar, Kohima and Aizawl have been provided computerised passenger reservation facilities and as far as facility of return and onward journey reservation facilities from and to these places is concerned a project has been undertaken for networking of the five systems of Calcutta, Mumbai, Chennai, Delhi and Secunderabad. The software for networking has already been developed. The first phase of project has been successfully completed by linking Delhi, Secunderabad and Calcutta systems. With this, passengers at the State Capitals of North Eastern Region will also be able to get onward and return journey reservation across all the computerised terminals by all trains originating on Northern, North Eastern, Eastern, South Eastern, Northeast Frontier and South Central Railways. It is expected that the whole networking project would be completed by March, 1999 by linking Mumbai and Chennai also. This will bring all Passenger Reservation System (PRS) locations under the network enabling Passengers all over the country to get onward and return journey reservation facilities at all computerised passenger reservation centres of Indian Railways.

रेलवे में बुक किए गए माल के गंतव्य स्थल तक न पहुंचने पर दावा करना

2290. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल मार्ग द्वारा माल भेजने के लिए बुक किए गए ऐसे माल गंतव्य स्थल तक न पहुंचने पर उक्त माल के मालिक को इस संबंध में दावा करने का हक प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक कितनी-कितनी राशि के कितने दावे प्रस्तुत किए गए;

(ग) क्या इन दावों का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में अक्तूबर से अंत तक कितने दावों का और कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया और क्या सरकार द्वारा इन दावों के भुगतान के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक 246.88 करोड़ रु० की राशि वाले कुल 46152 दावे प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग) जी हां, दावों के सभी मान्य मामले मैरिट के आधार पर निपटा दिए जाते हैं केवल उन मामलों को छोड़कर जहां परेषणों का पता लगा लिया गया है तथा दावाकर्त्ताओं को सुपुर्दगी की गयी है।

(घ) और (ङ) दावे के 19959 मामलों में 575.33 लाख रु० की राशि का भुगतान कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार के रेलवे दावों के निपटान के लिए निम्नलिखित लक्ष्य अवधियां निर्धारित की गई हैं:—

(i) मालडिब्बों/पूरे परेषणों की गैर-सुपुर्दगी के दावे	6 महीने

(ii) पूरे पैकेजों की आंशिक गैर-सुपुर्दगी : 4 महीने

(iii) कमी/क्षति/टूट-फूट आदि : 3 महीने

आई०आर०एफ०सी० द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाना

2291. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन (आई०आर०एफ०सी०) द्वारा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा मार्च 1998 के अंत तक विदेशों से कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया और इस ऋण पर 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में कितनी राशि ब्याज के रूप में अदा की गई तथा इन पर ब्याज की अधिकतम एवं न्यूनतम दर क्या-क्या थी; और

(ग) क्या निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है, यदि हां, तो उसकी कुल राशि और चालू वर्ष में ऋण की किस्त की राशि कितनी-कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां, भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (भा०रे०वि०नि०) ने 15 बिलियन जापानी येन के लिए एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ जापान के साथ एक ऋण-समझौता तथा 52 मिलियन अमरीकी डालर के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ कनाडा के साथ लाइन क्रैडिट समझौता किया है।

(ख) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ जापान से 11.779 बिलियन जापानी येन की धनराशि ऋण के रूप में निकाली गयी थी। वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान इस ऋण पर ब्याज के रूप में क्रमशः 7.20 करोड़ रु० 12.01 करोड़ रुपये और 16.42 करोड़ रुपए दिए गए थे। देय ब्याज की दर 5.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी। निर्यात विकास निगम कनाडा से अभी तक कोई भी धनराशि नहीं निकाली गई है।

(ग) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ जापान से मौजूदा बकाया ऋण को पुनः वित्त पोषित करने के लिए ए बी एन एमरो बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए समझौता के अंतर्गत 8.855 बिलियन जापानी येन की राशि और चालू वित्त वर्ष में निर्यात विकास निगम के साथ क्रेडिट समझौता लाइन के अंतर्गत लगभग 40 मिलियन अमेरीकी डालर कि धन राशि निकालने की योजना है।

Security of passengers travelling in trains

2292. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railways have absolved themselves of any responsibility towards security of passengers travelling in trains, on the plea that law and order is a State subject;

(b) if so, what is the parameter of the role of Railway Protection Force towards passengers' safety; and

(c) why the Railways are not evolving any safety norms ensuring safe travel, as ultimately the contact point, right from purchasing the ticket, boarding the train, undertaking the travel, etc. is under the Railways?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) No, Sir.

(b) the Railway Protection Force (RPF) has no role towards passengers' safety. However, the enrolled members of the Force are required to assit the Commercial and other Departments of the Railway during raids on ticketless travellers, alarm chain pullers, unauthorised hawkers and on those indulging in hose-pipe disconnection of infringing other provisions of the Railways Act, 1989.